



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112022-240558  
CG-DL-E-25112022-240558

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5259]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2022/अग्रहायण 3, 1944

No. 5259]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2022/AGRAHAYANA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2022

का.आ. 5488(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उड़ीसा राज्य के बरगढ़ जिले में NH-53 के कि.मी. 44.000 से कि.मी. 46.000 (लैंड एक्क्विजीशन सेल, कलेक्टोरेट, बरगढ़) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बरगढ़ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी

विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

उड़ीसा राज्य के बरगढ़ जिले में NH-53 के कि.मी. 44.00 से कि.मी. 46.000 (लैंड एक्क्विजीशन सेल, कलेक्टोरेट, बरगढ़) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा		जिले का नाम: बरगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बरगढ़					
गांव का नाम: बारहगुडा					
1	1382	निजी	घरबारि - I	0.0900000 (एकर)	0.0364225
2	1383	निजी	घरबारि - I	0.0099999 (एकर)	0.0040469
गांव का नाम: जामुण्डा					
1	4467	निजी	घरबारि - I	0.1199999 (एकर)	0.0485633
2	4468	निजी	आट साधारण	0.0900000 (एकर)	0.0364225
3	4469	निजी	घरबारि - I	0.3715000 (एकर)	0.1503440
4	4470	निजी	घरबारि - I	0.0620999 (एकर)	0.0251315
5	4471	निजी	माल साधारण	0.0502999 (एकर)	0.0203561
6	4472	निजी	आट साधारण	0.0099999 (एकर)	0.0040469
7	4474	निजी	आट साधारण	0.0099999 (एकर)	0.0040469
8	4475	निजी	आट साधारण	0.0106999 (एकर)	0.0043302
9	4499	निजी	आट साधारण	0.0099999 (एकर)	0.0040469
10	4507	निजी	आट साधारण	0.0200000 (एकर)	0.0080939
11	4509	निजी	आट साधारण	0.0731001 (एकर)	0.0295832

गांव का नाम: तोरा					
1	2575	निजी	बाहाल पानी - I दोफसली	0.0099999 (एकर)	0.0040469
2	2576	निजी	बाहाल पानी - I दोफसली	0.3216995 (एकर)	0.1301902
कुल				1.2594	0.5097

[फा. सं. NHAI/BOT/11012/73/2005/pt/LA/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th November, 2022

**S.O. 5488(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH53 in the stretch of land from Km. 44.000 to Km. 46.000 (Land Acquisition Cell, Collect orate, Bargarh) in the district of BARGARH in the state of ODISHA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Land Acquisition Officer, Bargarh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH53 in the stretch of land from Km. 44.000 to Km. 46.000 (Land Acquisition Cell, Collectorate, Bargarh) in the district of BARGARH in the state of ODISHA.**

State: ODISHA		District: BARGARH			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
<b>Taluk: Bargarh</b>					
<b>Village: Barahaguda</b>					
1	1382	Private	Gharabari-I	0.0900000 (Acre)	0.0364225
2	1383	Private	Gharabari-I	0.0099999 (Acre)	0.0040469
<b>Village: Jamurda</b>					
1	4467	Private	Gharabari-I	0.1199999 (Acre)	0.0485633
2	4468	Private	Ata Sadharan	0.0900000 (Acre)	0.0364225
3	4469	Private	Gharabari-I	0.3715000 (Acre)	0.1503440
4	4470	Private	Gharabari-I	0.0620999 (Acre)	0.0251315
5	4471	Private	Mal Sadharan	0.0502999 (Acre)	0.0203561
6	4472	Private	Ata Sadharan	0.0099999 (Acre)	0.0040469
7	4474	Private	Ata Sadharan	0.0099999 (Acre)	0.0040469
8	4475	Private	Ata Sadharan	0.0106999 (Acre)	0.0043302
9	4499	Private	Ata Sadharan	0.0099999 (Acre)	0.0040469
10	4507	Private	Ata Sadharan	0.0200000 (Acre)	0.0080939
11	4509	Private	Ata Sadharan	0.0731001 (Acre)	0.0295832
<b>Village: Tora</b>					
1	2575	Private	Bahal Pani- I Dofasali	0.0099999 (Acre)	0.0040469
2	2576	Private	Bahal Pani- I Dofasali	0.3216995 (Acre)	0.1301902
<b>Total</b>				<b>1.2594</b>	<b>0.5097</b>

[F. No. NHAI/BOT/11012/73/2005/pt/LA/3A]

RAJESH GUPTA, Director